

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविपा/उपा/जोन-10/2014/डी-1366

दिनांक 30/5/14

— आदेश —

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कई ऐसे योजनाओं में अनुमोदन, पट्टा वितरण, नाम हस्तान्तरण इत्यादि की कार्यवाही की जा रही है जो नगर निगम, जयपुर की नैर्गोलिक सीमा के भीतर है। इन योजनाओं का सरणबद्ध तरीके से हरतांतरण नगर निगम, जयपुर को किया जाना है।

इस क्रम में निम्नांकित योजनाएं नगर निगम, जयपुर को तमाग अरोटस एवं लाइविलिटीज के साथ सभी प्रकार के रख-रखाव(जैसे सड़कों, नालियों, पार्को इत्यादि) के लिये हस्तान्तरित की जाती है:-

क.सं.	सेक्टर सं.	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम
1	34	हथरोई गढी	किशन कालोनी
2	35	हथरोई गढी	हरिविहार साऊथ
3	34	हथरोई गढी	शान्ति प्रकाश नगर
4	34	हथरोई गढी	फतेह नगर ए
5	34	पहाड़गँज	रहीम कालोनी विस्तार
6	34	पहाड़गँज	डिफेंस कालोनी
7	35	मित्र	फ्रेंड्स कालोनी
8	34	हथरोई गढी	किशन विहार
9	34	हथरोई गढी	बाल विहार विस्तार
10	34	शान्ति	लक्ष्मी नगर -सी

उपरोक्त वर्णित योजनाओं की शहरी जमावदी नगर निगम, जयपुर वसूल करेगी। इन योजनाओं में भविष्य में भवन निर्माण की स्वीकृत नगर निगम, जयपुर द्वारा दी जाएगी। नगर निगम, जयपुर को इन योजनाओं में रख-रखाव एवं निर्माण की पूरी जिम्मेदारी होगी।

(पवन अरोडा)  
सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. निदेशक, स्थायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर।
8. समस्त निदेशकगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंशेक्षण विभाग, जयपुर।
10. अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/भूमि/पुनर्वास), जयपुर।
11. समस्त उपायुक्तगण, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
12. रक्षी पत्रावली।

(पवन अरोडा)  
सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर